बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 5646452 पटना, दिनांक 24/05/2026
ग्रा0वि0-5/मु0ग्रा0आ0यो0(आवंटन)-106-05/2024

प्रेषक,

मन्जु प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय: **वित्तीय वर्ष 2026-27 में "मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना" के कार्यान्वयन हेतु पूर्व से स्वीकृत राशि में से विपत्र कोड 42-2216031050107, विपत्र कोड 42-2216037890105 एवं विपत्र कोड 42-2216037960104 के अंतर्गत क्रमशः 99.00 लाख (निन्यानवे लाख), 198.00 लाख (एक करोड अनठानवे लाख) तथा 33.00 लाख (तैंतीस लाख) रूपये कुल 330.00 लाख (तीन करोड तीस लाख) रूपये मात्र का आवंटन के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 5639259 दिनांक 21.05.2026

निदेशानुसार प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत 01 जनवरी, 1996 के पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के तहत समूहों में निर्मित आवास जो वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, के लाभुक पूर्व से आवास का लाभ प्राप्त रहने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ पाने से वंचित हैं, उन्हें आवास निर्माण हेतु तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वर्तमान प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य परिवारों को निधि उपलब्धता के अनुरूप सुयोग्य परिवारों तथा जल-जीवन-हरियाली अभियान से विस्थापित परिवारों को आवास निर्माण हेतु सभी जिलों में 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) रूपये की सहायता राशि तीन किश्तों में आवास निर्माण की प्रगति के साथ "मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना" के तहत प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में मूल बजट 1000.00(दस करोड) लाख रूपये का उपबंध किया गया है ।

2. उक्त स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-42, योजना मुख्य शीर्ष-2216 में मूल बजट में उपबंधित राशि में प्राप्त राशि का विपत्र कोडवार कुल 330.00 लाख(तीन करोड तीस लाख) रूपये का आवंटन निम्नवत् किया जाता है:-

(राशि लाख में)

क्र. सं.	बजट शीर्ष एवं विपत्र कोड	स्वीकृत्यादेश संख्या 5639259 दिनांक 21.05.2026 से स्वीकृत राशि	स्वीकृत राशि में से 33 प्रतिशत आवंटित राशि
01	मुख्य शीर्ष-2216-आवास, उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास, लघु शीर्ष-105-इंदिरा आवास योजना, उप शीर्ष-0107-मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0107-31-05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-42-2216031050107	300.00	99.00
02	मुख्य शीर्ष-2216-आवास, उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0105-मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0105-31-05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-42-2216037890105	600.00	198.00
03	मुख्य शीर्ष-2216-आवास, उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष-0104-मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0104-31-05- सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-42-2216037960104	1000.00	33.00
	कुल	**1000.00**	**330.00**

3. अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी ।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्र संख्या-2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 एवं 380 वि0 दिनांक 20.04.2026 से निर्गत दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रावधानों एवं बंधेजों के अंतर्गत की जायेगी।

5. वित्त विभाग के पत्र सं0-7355 वि.(टि.) दिनांक-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि के विरूद्ध निकासी की गई राशि को निकासी कर बिहार रूरल डेवलपमेन्ट सोसाईटी (BRDS) के संचालनाधीन योजना के राज्य स्तर पर संधारित नोडल खाता BRDS-Mukhya Mantri Gramin Awas Yojna के नाम से Axis Bank Limited, New Bypass Road, Patna-800020 में बचत खाता संख्या-918010092911292, IFSC Code-UTIB0002579, MICR Code-800211012 में जमा किया जायेगा तथा विभागीय निदेश के आलोक में उक्त बैंक खाता के राशि का FTO के माध्यम से व्यय किया जायेगा ।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आवंटित राशि की निकासी के पश्चात् बैंक खाता में जमा कर के विभागीय प्रशाखा-05 को सूचित करेंगे तथा कोषागार प्रमाणक एवं तिथि सहित निकासी की गई राशि की विवरणी महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय बजट शाखा(प्रशाखा-10) को उपलब्ध करायेंगे ।

8. उक्त जमा राशि का लेखा-जोखा, आदि का संधारण बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी(BRDS) द्वारा अलग से किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध कराया जायेगा ।

9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

22.5.26

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5646452 पटना, दिनांक 22/05/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22.5.26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5646452 पटना, दिनांक 22/05/2026

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेवलपमेन्ट सोसायटी, पटना/Axis Bank Limited, New Bypass Road, Patna-800020/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.5.26

सरकार के अपर सचिव